अंजनी कुमार सिंह, भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
Anjani Kumar Singh, I.A.S.
Chief Secretary

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Main Secretariat, Patna - 800 015
Tel. No. : 0612-2215804 (O), Fax : 0612-2217085
E-mail : anjani41@yahoo.com

संचिका सं०- स्था०4-07/2017 वि०/- (स्था)

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक..............

विषयः- बैंक खातों में संचित राशि की समीक्षा कर प्रतिवेदित करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया वित्त विभाग के पत्रांक 130/वि० दिनांक 09.01.2002, पत्रांक 1881/वि० दिनांक 06.03.2002, पत्रांक 4349/वि० दिनांक 12.05.2015, पत्रांक 5742/वि० दिनांक 30.06.2015, पत्रांक 5268/वि० दिनांक 16.06.2015 एवं पत्रांक 3149/वि० दिनांक 26.03.2015 का कृपया संदर्भ करना चाहेंगे । उक्त परिपत्रों के माध्यम से सरकारी धन राशि को बैंक खाते में संचित किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे । संक्षेपतः वैसी योजनाओं, जिनकी मार्ग-दर्शिका के अनुरूप बैंक खाते में राशि का संचय किया जाना विहित हो, उनके मामलों में बैंक खाता संचालन स्वीकार्य है । इसके अतिरिक्त मामलों में वित्त विभाग की विशिष्ट अनुमति प्राप्त कर ही बैंक खाता खोला जाना है । यह भी बार-बार संसूचित किया गया है कि निकट भविष्य में होने वाले व्यय के विरूद्ध ही समेकित निधि से अथवा पी0एल0/पी0डी0 खातों से राशि की निकासी कर बैंक खाते में रखी जाय ।

2. इस संबंध में वित्त विभाग के पत्रांक 5593 दिनांक 11.08.2017 का भी कृपया संदर्भ करें जिसके द्वारा कार्यालय में संधारित सभी बैंक खातों से अद्यतन बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर रोकड़-बही का मिलान कर सत्यापन नियमित रूप से करते रहने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं ।

3. आप अवगत हैं कि भागलपुर जिले में बैंक खातों में संचित राशि के संधारण के कारण ही जालसाजी द्वारा धोखाधड़ी एवं सरकारी राशि की अवैध निकासी की घटना प्रतिवेदित की गई है । अतः यह आवश्यक है कि वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों के आलोक में जिलों में संधारित सभी बैंक खातों की सूक्ष्मतः

जांच कर ली जाय । इस संबंध में निदेशित किया जाता है, कि जिलों में सभी स्तरों पर धारित प्रत्येक बैंक खातों की समीक्षा हो तथा प्रत्येक बैंक खाते में राशि संचित रखने से संबंधित निर्णय वित्त विभागीय अनुदेश के अनुसार है अथवा नहीं इसकी भी समीक्षा कर ली जाय । साथ ही, जिलों में सभी विभागों के अधीन संधारित बैंक खातों की समीक्षा संबंधित कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी करेंगे और जिलाधिकारी इस निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इसका सतत् अनुसरण करें ।

4.(i) सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाना है कि संधारित बैंक खातों एवं उसमें संचित राशि के संबंध में अद्यतन सूचना संलग्न **प्रपत्र-A** में दिनांक 28.08.2017 तक प्रधान सचिव, वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।

(ii) पुनः **प्रपत्र-B** में दिनांक 04.09.2017 तक यह सूचना उपलब्ध करा दी जाय, कि किन-किन बैंक खातों को आगे चालू रखना है ।

(iii) जिन बैंक खातों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें विधिवत रूप से बन्द किया जाय ।

(iv) जिन बैंक खातों का संचालन बंद किया गया है, उनमें संचित राशि समेकित निधि अथवा पी0एल0/पी0डी0 खाते में जमा करने की समस्त कार्रवाई दिनांक 11.09.2017 तक पूर्ण कर वित्त विभाग को संलग्न **प्रपत्र-C** में सूचित कर दिया जाय ।

(v) बैंक खातों को बंद करने के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाय, कि जिस तिथि को बैंक खाते बंद किया जा रहा है, उस तिथि तक उद्भूत सूद समेत अंतःशेष उसमें दर्शाते हुए बैंक खाता वास्तव में बंद कर दिया गया है, एवं इस आशय का लिखित प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय ।

(vi) स्पष्ट किया जाता है, कि इस उपक्रम में ग्राम पंचायतों, सरकारी विद्यालयों अथवा आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा संधारित बैंक खाते सम्मिलित नहीं होंगे ।

उपरोक्त अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन

ह0/
(अंजनी कुमार सिंह)

ज्ञापांकः-...5819...../वि०   पटना, दिनांक...19.8.17

प्रतिलिपिः-सभी प्रधान सचिव/सचिव को इस निदेश के साथ प्रेषित कि

i) सभी जिलों में विभागीय राशि से संबंधित संधारित बैंक खातों की समीक्षा उपरोक्त निदेशों के आलोक में कर अनुपालन प्रतिवेदन वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

ii) विभाग/मुख्यालय स्तर पर संधारित बैंक खातों की समीक्षा भी उपरोक्त निदेशों के आलोक में कर अनुपालन प्रतिवेदन वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

19/8/17

(अंजनी कुमार सिंह)

प्रतिवेदन समर्पित करने की निर्धारित तिथि-28.08.2017

प्रपत्र-A

प्रखंड/अनुमंडल/जिला कार्यालय के बैंक खाते में संधारित राशि की विवरणी

कार्यालय का नाम :-

कोषागार का नाम :-

विभाग का नाम :-

क्र0	बैंक एवं शाखा का नाम	खाता संख्या	31.03.2017 तक खाते में संधारित राशि	01.04.2017 से अद्यतन जमा राशि	बैंक खाते में संधारित राशि के मद का विवरण	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
कुल (कॉलम-3, 4, 5 एवं 7 के लिये)						

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरणी में उल्लेखित बैंक खातों में संधारित राशि कार्यालय अभिलेख/रोकड़ पंजी/बैंक खाते में शेष राशि के समाशोधन के आधार पर दिया गया है । यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त विवरणी में अंकित बैंक खातों के अतिरिक्त अन्य कोई बैंक खाता संधारित नहीं है ।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रतिवेदन समर्पित करने की निर्धारित तिथि-04.09.2017

प्रपत्र-B

प्रखंड/अनुमंडल/जिला कार्यालय के बैंक खाते में संधारित राशि की विवरणी

कार्यालय का नाम :-

कोषागार का नाम :-

विभाग का नाम :-

क्र0	बैंक एवं शाखा का नाम	खाता संख्या	31.03.2017 तक खाते में संधारित राशि	01.04.2017 से अद्यतन जमा राशि	बैंक खाते में संधारित राशि के मद का विवरण	कुल राशि	बैंक खाता को आगे चालू रखना है अथवा बन्द किया जाना है
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
कुल (कॉलम-3, 4, 5 एवं 7 के लिये)							

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरणी में उल्लेखित बैंक खातों में संधारित राशि कार्यालय अभिलेख/रोकड़ पंजी/बैंक खाते में शेष राशि के समाशोधन के आधार पर दिया गया है । यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त विवरणी में अंकित बैंक खातों के अतिरिक्त अन्य कोई बैंक खाता संधारित नहीं है ।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रतिवेदन समर्पित करने की निर्धारित तिथि-11.09.2017

प्रपत्र-C

प्रखंड/अनुमंडल/जिला कार्यालय के बैंक खाते में संधारित राशि की विवरणी

कार्यालय का नाम :-

कोषागार का नाम :-

विभाग का नाम :-

क्र0	बैंक एवं शाखा का नाम	खाता संख्या	31.03.2017 तक खाते में संधारित राशि	01.04.2017 से अद्यतन जमा राशि	बैंक खाते में संधारित राशि के मद का विवरण	कुल राशि	बैंक खाता का संचालन बन्द कर राशि समेकित निधि अथवा पी0एल0/पी0डी0 खाता में जमा की गयी है
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
कुल (कॉलम-3, 4, 5 एवं 7 के लिये)							

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर